

प्रेषक,  
 देव प्रताप सिंह  
 विशेष सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन ।  
 सेवा में,  
 शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2018

विषय:-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बे0शि0ष0/ले0सं0/वेतन/9544/2017-18, दिनांक 6-11-2017 का कृपया सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0-67/2016/वे0 आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 निर्गत किया गया है, जिसमें चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गयी है। अतः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अमली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल-6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रु0 46200/- प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल-7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-7 में रु0 47600/- के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल-7 के शिक्षक को पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रु0 60400/- प्राप्त हो रहा था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल-8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-8 में रु0 62200/- के स्तर पर निर्धारित होगा।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 2/ अगस्त, 2018

विषय:-सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-बे0शि0प0/ले0सं0/वेतन/9544/2017-18, दिनांक 6-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश सं0-67/2016/बे0 आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22-12-2016 निर्गत किया गया है, जिसमें चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गयी है। अतः उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान हेतु अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल-6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 46200/- प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल-7 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-7 में रू0 47600/- के स्तर पर निर्धारित होगा। इसी प्रकार लेवल-7 के शिक्षक को पदोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता की तिथि को मूल वेतन के रूप में रू0 60400/- प्राप्त हो रहा था, उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल-8 अनुमन्य होने पर उसका मूल वेतन लेवल-8 में रू0 62200/- के स्तर पर निर्धारित होगा।

2/..

3- विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या-4307/15-8-3038/99, दिनांक 20-12-2001 एवं इसी क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार होगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-02-448/X-2018, दिनांक 23-7-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( देव प्रताप सिंह )  
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक लदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 7- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-11 / वित्त (आय-व्यय) अनु0-2 / नियोजन अनु0-4
- 9- वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1 एवं-2, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( राजेन्द्र सिंह )  
उप सचिव।